न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

RCMS No.—2017/00322

प्रार्थना पत्र संख्याः 24 / 2017

आम जनता ग्राम धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान, जरिये

1. हरलाल पुत्र महादेव खारवाल, उम्र 35 वर्ष
2. मन्नालाल पुत्र लालदास स्वामी, उम्र 50 वर्ष,
3. रामकिशन पुत्र गोपाल खारवाल उम्र 45 वर्ष,
4. रामकुमार पुत्र छोटुराम मीणा, उम्र 46 वर्ष,
   समस्त निवासीयान–ग्राम धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

...प्रार्थीगण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) न्यायालय सत्यमेव जयते * जयपुर *

बनाम

1. लादू पुत्र श्री गोविन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियमन 1970 विरूद्व आज्ञा आवंटन दिनांक 14.06.1999 आवंटन सलाहकार समिति केम्प, धामस्या, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर को निरस्त करने हेतु।

उपस्थितः–
1. श्री रामकिशोर गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 22.02.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति जमवारामगढ के आदेश दिनांक 14.06.1999 जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लादू पुत्र गोविन्दा जाति मीणा, निवासी ग्राम धर्मपुरा, तहसील जमवारामागढ को ग्राम धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1 में से रकबा 1 बीघा का आवंटन किया से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.09.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या–1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगणों ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

14.06.1999 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम धर्मपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित साबिक खसरा नम्बर 1 हाल ख.न. 4, 9, 10, 11 में 1 बीघा भूमि का आवंटन नियम विरूद्व एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आवंटन सलाहकार समिति ने बिना कोई उद्घोषणा जारी किये, बाला–बाला अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुँचाने की दृष्टि से आवंटन किया गया जो अवैधानिक है। जबकि आवंटित भूमि ग्राम धर्मपुरा के पशुधन व गौवंश के चरने के काम में अर्से कदीम से आ रही है तथा उक्त भूमि पर राज्य सरकार एवं ग्रामवासियों के सहयोग से दो छोटे–छोटे तालाब एवं बांध गौवंश व अन्य पशुओ को पानी पीने के लिए बनवा रखे है। उक्त अवैध आवंटन की अनुपालना में आदिनांक तक किसी प्रकार की कोई गैर. खातेदारी का नामान्तकरण आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से नहीं खुला है जिससे स्पष्ट है कि आवंटन आदेश की पालना राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आंवटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा है। आवंटी द्वारा अपने को भूमिहीन बताते हुए आवंटन सलाहकार समिति को मुगालते में रखते हुए आवंटन करवा लिया जबकि आवंटी द्वारा उक्त भूमि से पूर्व भी भूमि का आवंटन कराया है। आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था। उक्त आवंटित भूमि पर पशुओ को चरने से आवंटी द्वारा रोके जाने ग्राम धर्मपुरा के ग्रामवासियों को उक्त विवादित भूमि आवंटन के बारे में ज्ञात हुआ एवं अवलिम्ब न्यायालय हाजा में आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन दिनांक 14.06.1999 को आवंटन सलाहकार समिति का पूरा कोरम नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में दिनांक 14.06.1999 को ग्राम धर्मपुरा तहसील जवारामगढ स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 1 रकबा 01 बीघा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन नियमों की पालना करते हुए ही किया गया, इसमें कोई गलती आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गई है। अप्राथी संख्या 1 का विवादित भूमि पर सन् 1999 से कब्जा है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण अप्रार्थी विवादित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं करा सके एवं आवंटित भूमि का नामान्तकरण नहीं खुलवा सका। खसरा नंबर 01 सिवाय चक भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट 11.07.2016 से भी होती है। आवंटित भूमि पर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा भी धारा 91 की कार्यवाही की जाकर कार्यवाही ड्राप की जा चुकी है। आवंटित भूमि के मालिक घोषित करने के संबंध में एक घोषणा का वाद मु.न. 126/17 उनवानी लादू बनाम सरकार भी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के यहां विचाराधीन है। आवंटन सलाहकार समिति ने आंवटी को सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर आवंटन किया तथा आवंटन के समय ही आंवटित कृषि भूमि का कब्जा आंवटी को सुपुर्द कर दिया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 को कैम्प धामस्या में ग्राम धर्मपुरा की आराजी खसरा नंबर 1 मे से 01 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.06.1999 को आवंटित की गई। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत भूमि आवंटन किए जाने से पूर्व उद्घोषणा की जानी चाहिए थी जो कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किया जाना जाहिर नहीं होता। अप्रार्थी/आवंटी को जब भूमि आवंटन की गई तत्समय उसकी खातेदारी भूमि रिपोर्ट पटवारी के आधार पर 4 बीघा 09 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। भूमि आवंटन होने के उपरान्त आवंटी को आवंटन पत्र जारी होना एवं आवंटित भूमि का कब्जा संभालाये जाने संबंधी कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। आवंटन नियमों के नियम 15 की पालना में किसी प्रकार की तहरीर जारी होना तथा कब्जा सुपुर्द की कार्यवाही नहीं की गई है। मौके पर आवंटी द्वारा काश्त की गई हो इसका भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है इससे जाहिर है कि प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 की पालना नहीं हुई है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत संवत् 2073 में विवादित भूमि पर कब्जा किये जाने पर अपने निर्णय दिनांक 30.08.2017 में यह माना कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि राजकीय सिवाय चक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि भूमि आवंटन होने की तिथि से आदिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। कृषि भूमि आवंटन/नियमों के प्रावधान अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लादू पुत्र गोविन्दा जाति मीणा, निवासी ग्राम धर्मपुरा तहसील जमवारामगढ के हक में दिनांक 14.06.1999 को ग्राम धर्मपुरा स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 1 में रकबा 01 बीघा का आवंटन खारिज किया जाता है। । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर-प्रथम,
जयपुर

(पुखराज सेन)
अति. जिला कलक्टर-प्रथम
जयपुर